प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2022
   प्र0सू0रि0 सं 431/22 दिनांक 3/11/2022
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं .....**7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018** .....
3. (क) घटना का दिन :– बुधवार :– दिनांक 02.11.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **01.11.2022 समय :– 07.01 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 49 समय 5:50pm
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक)
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –**ए.सी.बी. बून्दी से करीब 153 कि0मी0 बजानिब पूर्व दिशा**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पताः– **आरोपी के किराये का आवासीय मकान, कस्बा केलवाडा जिला बारां।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– **श्री ओमप्रकाश किराड**
(ख) पति का नाम :– **श्री बाबुलाल**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **48 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय – खेती बाडी
(छ) पता :– **निवासी कलोनिया थाना केलवाडा जिला बारां**

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   विक्रम सिंह पुत्र श्री बलीराम जाति मीणा उम्र 34 साल निवासी गांव राजोली पोस्ट धवन तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **25,000 रूपये** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 01.11.2022 समय 07.01 पी.एम. पर श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9001333044 पर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड ने मोबाईल नम्बर 9166261566 से कॉल कर सूचना दी कि –" केलवाडा विद्युत विभाग का जे.ई.एन. विक्रम मीणा मेरे खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर ले गया, जिसको वापस देने की एवज में 40,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नही देकर जेईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मैं बूंदी आकर शिकायत देने में असमर्थ हूँ तथा जे.ई.एन. विक्रम मीणा ने मुझे कल सुबह रिश्वत राशि लेकर किराये के मकान पर बुलाया है।" इस पर परिवादी को दिनांक 02.11.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर केलवाडा कस्बे में निर्धारित स्थान पर उपस्थित मिलने की समझाइश की गई।

श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक ने जरिये मोबाईल खनिज विभाग बूंदी में वार्ता कर दो स्वतंत्र गवाहान को अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय बूंदी भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। स्वतंत्र गवाहान के सम्बंध में गवाह तलबी तहरीर पृथक से जारी की गई। जिस पर खनिज विभाग बूंदी से दो स्वतंत्र गवाह 1. श्री राजकुमार चौधरी पुत्र श्री फुलचन्द उम्र 28 साल जाति जाट निवासी ढाणी झाडोदा ग्राम जाजेकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता द्वितीय बूंदी, 2. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री रोशनलाल जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी जामडोली थाना रेणी जिला अलवर हाल सर्वेयर कार्यालय खनि अभियन्ता द्वितीय बूंदी ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 02.11.2022 को समय 04.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। कार्यालय के समस्त स्टाफ को प्रातः 4 बजे कार्यालय में आने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 02.11.2022 को प्रातः 4 बजे पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार चौधरी, श्री जितेन्द्र मीणा एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना

से श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर प्राइवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकार्डर को दूसरे प्राइवेट वाहन में रखवाया जाकर श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक के हमराह मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार चौधरी, श्री जितेन्द्र मीणा एवं एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्री राम सिंह कानि. 78, श्री राजकमल कानि. 330, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री मनोज कुमार कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के दो प्राइवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय बूंदी से रवाना होकर कोटा–शिवपुरी हाइवे पर कस्बा केलवाडा जिला बारां पहुँचे। जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बाबुलाल जाति किराड उम्र 48 साल निवासी कलोनिया थाना केलवाडा जिला बारां मय मोटरसाइकिल के उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा दी गई मौखिक सूचना के सम्बंध में लिखित प्रार्थना पत्र देने हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि –" छिछरोनी के माल में मेरे कब्जे काश्त की करीब 12 बीघा जमीन है। जिस पर मेरे पिताजी के नाम पर कृषि कनेक्शन करवा रखा है। दिनांक 31.10.2022 को विक्रम मीणा जे.ई.एन. जे.वी.वी.एन.एल. केलवाडा मेरे खेत पर आया तथा मेरे बिल बकाया होने के कारण खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को उतार कर ले गया। मैंने दिनांक 01.11.2022 को बिल भी जमा करवा दिया। इसके बाद विक्रम मीणा जे.ई.एन. से मिला तो ट्रांसफार्मर देने की एवज में 40000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैंने मेरी गरीबी का हवाला देकर रूपये कम करने के लिये निवेदन किया तो विक्रम मीणा जे.ई.एन. ने 25000 रूपये रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर देने की बात कही है। मैं विक्रम मीणा जे.ई.एन. को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी विक्रम मीणा से कोई दुश्मनी नही है तथा उधारी का कोई लेन–देन भी बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।"

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का होने से श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द को सिपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द ने परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। शिकायत के गोपनीय सत्यापन के क्रम में ट्रेप बॉक्स से डिजिटल वॉईस रिकार्डर निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करें। श्री राम सिंह कानि. 78 को परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादी के साथ स्वयं की मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

समय 07.55 ए.एम. पर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड व श्री राम सिंह कानि. 78 दोनों, परिवादी की मोटरसाइकिल पर केलवाडा कस्बे से बाद सत्यापन के हाइवे पर आये। परिवादी ओमप्रकाश किराड ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि –"मैं व राम सिंह दोनों हाइवे से मेरी मोटरसाइकिल से रवाना होकर केलवाडा कस्बे में विक्रम मीणा जे.ई.एन. के किराये के मकान के पास पहुँचें। मकान से थोडी दूर राम सिंह को छोडकर, मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके विक्रम मीणा जे.ई.एन. के किराये के मकान पर गया तो उसकी पत्नि ने बताया कि मेरे पति अभी बच्चे को स्कूल छोडने गये है, थोडी देर में आ जायेगें। इस पर मैंने वही पर रहकर इंतजार किया। करीब 10–12 मिनट बाद विक्रम मीणा जे.ई.एन. अपने किराये के मकान पर आया तो मैं उससे बातचीत करने के लिये मकान के अन्दर गया, जहां पर मैंने विक्रम मीणा जे.ई.एन. से मेरे ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत की तो विक्रम मीणा ने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत की मांग की तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी 10000 रूपये ही है तो उसने मेरे से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000 रूपये लेकर अपने पास रख लिये तथा मुझे ट्रांसफार्मर दे दिया और शेष 15000 रूपये अभी लेकर आने को कहा है। बातचीत करने के बाद, मैं बाहर आया तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द किया और राम सिंह के साथ मोटरसाइकिल से रवाना होकर आपके पास आया हूँ।" श्री राम सिंह कानि. 78 से पूछने पर परिवादी के बताये गये कथनों की पुष्टि की। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो दौराने सत्यापन आरोपी विक्रम मीणा द्वारा परिवादी से 25000 रूपये की रिश्वत मांग करके 10000 रूपये प्राप्त किये तथा शेष रिश्वत राशि 15000 रूपये लेकर आने की बात की पुष्टि हुई। समयाभाव के कारण सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार किया जाना तय हुआ। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी ओमप्रकाश किराड से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी।

स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड पुत्र श्री बाबुलाल जाति किराड उम्र 48 साल निवासी कलोनिया थाना केलवाडा जिला बारां ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पांच–पांच

सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये मन पुलिस निरीक्षक ताराचन्द के समक्ष पेश करने पर नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 द्वारा प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड बॉक्स से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी तथा गाडी से एक अखबार मंगवाकर केलवाडा कस्बे के पास कोटा–शिवपुरी हाइवे के ब्रिज के नीचे रोड के साइड में बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड की जामा तलाशी गवाह श्री राजकुमार चौधरी से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से रखवाये गये। गाडी से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन मे डेस्क बार्ड बॉक्स मे रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन, कांच के गिलास व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर मन् पुलिस निरीक्षक एवं टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 को अग्रिम आदेश तक हाइवे पर ही रहने के निर्देश दिये जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड से डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वत लेन–देन हेतु स्वयं की मोटरसाइकिल से रवाना कर पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से हाइवे से आरोपी के किराये के मकान कस्बा केलवाडा के लिये रवाना होकर कस्बा केलवाडा में बजाज शोरूम के सामने वाली गली पहुँचकर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड को आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के किराये के मकान पर रिश्वत लेन–देन हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छुपाते हुये परिवादी के इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ।

समय 09.07 ए.एम. पर परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड ने आरोपी के किराये के मकान के गेट से बाहर निकलकर सडक पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी के रिश्वत लेने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। इस पर परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ओमप्रकाश किराड ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि जेईएन के घर जाते समय मेरा मित्र एवं जेईएन विक्रम सिंह मीणा का परिचित चम्पालाल मेहता मुझे मिल गया था, जिसको मैं साथ लेकर गया जेईएन साहब विक्रम सिंह मीणा के घर गया था एवं जेईएन साहब को रिश्वत राशि 15000 रूपये देकर आ गया हूँ। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह जाप्ते मे से श्री राम सिंह कानि. 78, स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार चौधरी को आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता को डिटेन करने के निर्देश दिये जाकर मन् पुलिस निरीक्षक आस–पास मुकीम टीम के अन्य सदस्यों को हमराह लेकर पैदल पैदल रवाना होकर आरोपी के किराये के मकान के अन्दर प्रवेश किया तो मकान के पिछवाडे में खुले स्थान में श्री राम सिंह कानि. 78, स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार चौधरी के साथ एक व्यक्ति हाथापाई करता हुआ नजर आया। इस पर टीम ने घेरा देकर उक्त व्यक्ति को नियंत्रित किया एवं उसको मकान के अन्दर लाकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो आवेश में आकर कोई जवाब नही दिया। स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार चौधरी से पूछने पर बताया कि परिवादी के इशारा करने पर निर्देशानुसार मैं व राम सिंह दोनों मकान के अन्दर आये तो यह व्यक्ति हमें देखकर मकान में पीछे की तरफ बाडे में भागने लगा, हमने पीछा कर पकडा तो हमारे साथ मारपीट करने लग गया तथा राम सिंह के सीने पर मुह के दांतों

से काट लिया तथा मेरा मोबाईल छीनकर पत्थर पर पटक–पटक कर तोड कर दीवार के उपर से बाहर फैंक दिया। मैंने व राम सिंह कानि. दोनों ने बडी मुश्किल से आप लोगों के आने तक इसको पकड कर रखा है। इसी दौरान मौके पर उपस्थित परिवादी ओमप्रकाश किराड ने बताया कि यही जे.ई.एन. विक्रम मीणा है, जिसने मेरे से अभी थोडी देर पहले 15,000 रूपये रिश्वत के लिये है तथा 10,000 रूपये सुबह सत्यापन के दौरान लिये थे।

इस पर डिटेनशुदा उक्त व्यक्ति से मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पद व नाम का पूर्ण परिचय देते हुये आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विक्रम सिंह पुत्र श्री बलीराम जाति मीणा उम्र 34 साल निवासी गांव राजोली पोस्ट धवन तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां होना बताया। श्री विक्रम सिंह मीणा को तसल्ली देकर परिवादी ओमप्रकाश किराड से ली गई रिश्वत राशि 15000 रूपये पेश करने को कहा गया तो आरोपी ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत नही ली है, मेरे पास कोई रिश्वत राशि नही है। इस पर परिवादी ओमप्रकाश किराड ने आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के कथन का खण्डन करते हुये बताया कि –"आज सुबह मैं विक्रम सिंह मीणा के पास आया तो विक्रम सिंह मीणा जे.ई.एन. से मेरे ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत की तो इन्होंने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत की मांग की तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी 10000 रूपये ही है तो इन्होने मेरे से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10000 रूपये लेकर अपने पास रख लिये तथा शेष 15000 रूपये अभी लेकर आने को कहा था और मुझे ट्रांसफार्मर दे दिया था। अभी थोडी देर पहले विक्रम सिंह मीणा ने मेरे से पाउडर लगे हुये 15000 रूपये लेकर अपने पास रख लिये थे तथा मैंने मकान से बाहर निकल कर आपको सिर पर हाथ फैरकर इशारा कर दिया था एवं जेईएन विक्रम सिंह मीणा द्वारा रिश्वत राशि लेने के बारे में बता दिया था।"

आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर आरोपी के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से मकान से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क RH–1,RH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH–1,LH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात पुनः समझाइश करके आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि आज सुबह मेरे पास ओमप्रकाश किराड मेरे घर आया था तथा ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत की तो मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर ले जाना, इस पर ओमप्रकाश किराड ने स्वैच्छा से मुझे 10,000 रूपये दिये थे। इसके बाद ओमप्रकाश किराड घन्टे भर बाद मेरे पास दुबारा आया शेष राशि 15000 रूपये मुझे देकर जल्दबाजी में चला गया तो मुझे थोडी शंका हुई, इसके बाद मैंने तुरन्त ओमप्रकाश किराड से लिये गये 25000 रूपयों को मेरे मकान के शौचालय (गटर सीट के अन्दर) में डालकर फ्लश चला दिया, इतने में आपकी टीम के सदस्य आ गये, जिनको देखकर मकान के पीछे से भागने का प्रयास किया तो आपकी टीम के दो लोगों ने मुझे पकड लिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मकान के शौचालय (गटर सीट के अन्दर) को देखा तो सीट के अन्दर 500–500 रूपये के पानी मे भीगे हुए गीले नोट नजर आये। जिस पर चिमटा मंगवाकर नोटों को बाहर निकलवाया जाकर जाकर गन्दगी को धुलाया गया तथा नोटों को धूप में सुखाकर दोनों गवाहों से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 50 नोट कुल 25000 रूपये होना पाये गये। उक्त नोटों में एक नोट आधा हिस्सा तथा दूसरा एक नोट बीच में आधा फटा हुआ है तथा अन्य नोट सही होना पाये गये। दोनों गवाहों को फर्द पेशकशी की प्रति देकर फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि के नोटों को अलग करने को कहा तो दोंनो गवाह द्वारा 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15000 रूपये अलग कर पेश किये, उक्त 15000 रूपये रिश्वती होना पाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	6BC 302469
2	एक नोट पांच सौ रूपये	0EU 060125
3	एक नोट पांच सौ रूपये	0GP 337782
4	एक नोट पांच सौ रूपये	2PS 574765
5	एक नोट पांच सौ रूपये	4GK 836466

6	एक नोट पांच सौ रूपये	0GP 337785
7	एक नोट पांच सौ रूपये	0GP 337786
8	एक नोट पांच सौ रूपये	0GP 337788
9	एक नोट पांच सौ रूपये	0GP 337784
10	एक नोट पांच सौ रूपये	5HC 327551
11	एक नोट पांच सौ रूपये	2AG 410630
12	एक नोट पांच सौ रूपये	6EM 458575
13	एक नोट पांच सौ रूपये	1BH 387310
14	एक नोट पांच सौ रूपये	6SL 319321
15	एक नोट पांच सौ रूपये	1EG 343655
16	एक नोट पांच सौ रूपये	9ES 653008
17	एक नोट पांच सौ रूपये	3EW 271571
18	एक नोट पांच सौ रूपये	4RW 591114
19	एक नोट पांच सौ रूपये	7DV 990208
20	एक नोट पांच सौ रूपये	5FA 956964
21	एक नोट पांच सौ रूपये	0UF 147091
22	एक नोट पांच सौ रूपये	0HN 641644
23	एक नोट पांच सौ रूपये	7DV 990264
24	एक नोट पांच सौ रूपये	9ES 653009
25	एक नोट पांच सौ रूपये	1FW 154650
26	एक नोट पांच सौ रूपये	7DV 990265
27	एक नोट पांच सौ रूपये	7SG 591670
28	एक नोट पांच सौ रूपये	1FW 154649
29	एक नोट पांच सौ रूपये	9ES 653010
30	एक नोट पांच सौ रूपये	1FW 154651

उक्त रिश्वती नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके अलावा आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन प्राप्त रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये में से 18 नोट दुरस्त हालत में है, एक नोट का आधा हिस्सा तथा दूसरा नोट बीच में फटा हुआ है। उक्त सभी नोट आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी ओमप्रकाश किराड से सत्यापन के दौरान प्राप्त करना बताया है। इस कारण से उक्त नोट सत्यापन के दौरान ली गई रिश्वत राशि होने के कारण एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता को परिवादी ओमप्रकाश किराड के खेत से ट्रांसफार्मर लाने एवं रिश्वत की मांग करके रिश्वत लेने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि –" दो दिन पहले मैं मय स्टाफ के ओमप्रकाश किराड के खेत पर गया था, ओमप्रकाश किराड का बिल भी बकाया चल रहा था इस कारण इसके खेत से मैं ट्रांसफार्मर को उतरवाकर ले आया था। इसके बाद ओमप्रकाश किराड कल दिनांक 01.11.2022 को मेरे पास आया तथा ट्रांसफार्मर वापस देने को कहा तो मैंने मजाक के तौर पर इसको कहा कि चालीस हजार रूपये लगेगें। ओमप्रकाश किराड ने मेरी बात को गम्भीरता से लेकर मुझे 25000 रूपये देने पर सहमत हुआ तो मेरे मन में लालच आ गया। इसके बाद आज सुबह मेरे पास आया तो मैंने इसको ट्रांसफार्मर वापस दे दिया तो इसने मुझे दस हजार रूपये दे दिये तथा 15000 रूपये बाद में देने की कहकर गया था। इसके घन्टेभर बाद ओमप्रकाश किराड उसके मित्र व मेरे परिचित चम्पालाल मेहता के साथ वापस मेरे मकान पर आया तथा ओमप्रकाश किराड ने मुझे 15000 रूपये दिये थे। मैंने ओमप्रकाश किराड पर विश्वास करके रूपये लिये थे, ओमप्रकाश किराड ने मेरी शिकायत करके मुझे ट्रेप करवा दिया है।"

कार्यवाही के दौरान मौके पर आरोपी का मकान मालिक श्री राजेन्द्र चौहान पुत्र श्री गडक सिंह उम्र 54 साल निवासी सालेरी थाना केलवाडा जिला बारां मोबाईल नम्बर 91660–33367 उपस्थित आया, जिसने बताया कि "दो महिने पहले ही मैंने ये मकान 9000 प्रतिमाह किराये पर विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता को दिया है। मेरे मकान में मैंने आगे व पीछे की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मकान मालिक श्री राजेन्द्र चौहान को ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित सीसीटीवी फुटेज एवं विडियों निकाल कर पेश करने को कहा तो बताया कि मुझे तकनीकी ज्ञान नही है, मैंने सीसीटीवी कैमरे जिस मैकेनिक से लगवाये थे, उसको बुलवाकर आपको विडियों फुटेज निकलवाकर आपको बाद में पेश कर दूंगा।"

आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां द्वारा परिवादी ओमप्रकाश किराड के खेत पर लगे हुये ट्रांसफार्मर को दिनांक 31.10.2022 को उतारकर लाने के बाद दिनांक 01.11.2022 को परिवादी ओमप्रकाश किराड द्वारा आरोपी से सम्पर्क कर ट्रांसफार्मर वापस देने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 40,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर आरोपी 25000 रूपये लेने पर सहमत हो गया। दिनांक 02.11.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की तथा शेष राशि भी तुरन्त लाकर देने की कहकर ट्रांसफार्मर परिवादी को लौटा दिया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी ने परिवादी से 15000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। रिश्वत राशि आरोपी कर निशादेही से मकान के शौचालय (गटर की सीट के अन्दर से) बरामद की गई। आरोपी के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई।

परिवादी ओमप्रकाश किराड की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल कस्बा केलवाडा में स्थित आरोपी के किराये के मकान का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के किराये के आवासीय मकान की खाना तलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। मौके की कार्यवाही के बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता के डिटेनशुदा आरोपी विक्रम सिंह मीणा को हमराह लेकर एवं ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा आर्टिकल्स के प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां पहुँचा। थाना प्रभारी से अग्रिम कार्यवाही थाना केलवाडा पर किये जाने की मौखिक स्वीकृति लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के पुलिस थाना केलवाडा पर मुकीम हुआ एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड तथा आरोपी विक्रम सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य आज दिनांक 02.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड तथा आरोपी विक्रम सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य आज दिनांक 02.11.2022 को हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई है। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

आरोपी विक्रम सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता और ना ही एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। कार्यवाही से विक्रम सिंह पुत्र श्री बलीराम जाति मीणा उम्र 34 साल निवासी गांव राजोली पोस्ट धवन तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड तथा आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां के मध्य दिनांक 02.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में उक्त दोनों वार्ताओं को सरकारी लेपटॉप में डिजिटल वाईस रिकार्डर लगाकर वार्ताओं की चार सी0डी0 तैयार करवाई गई। जिसमें से तीन सी.डी. को कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया गया। सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां को जरिये टेलीफोन दिये गये निर्देश के कम अपने कार्यालय के कार्मिक के साथ परिवादी ओमप्रकाश के पिताजी बाबुलाल के नाम से विद्युत कृषि कनेक्शन के बकाया बिल व जमा सम्बंधी रिकार्ड तथा खेत से ट्रांसफार्मर उतार कर लाने से सम्बंधी रिकार्ड भिजवाया गया। उक्त रिकार्ड को शामिल कार्यवाही किया गया।

आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के मकान मालिक श्री राजेन्द्र चौहान पुत्र श्री गडक सिंह उम्र 54 साल निवासी सालेरी थाना केलवाडा जिला बारां द्वारा निर्देशानुसार ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित सीसीटीवी फुटेज एवं विडियों को तीन पैन ड्राइव में लिवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करने पर बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर मार्क–P दिया गया। एक पैन ड्राइव न्यायालय के लिये, एक पैन ड्राइव आरोपी के लिये कपडे थैली में सिल्ड मोहर किया गया। एक पैन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी के लिये अनसील रखा गया। फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री ओमप्रकाश किराड पुत्र श्री बाबुलाल जाति किराड उम्र 48 साल निवासी कलोनिया थाना केलवाडा जिला बारां ने लिखित शिकायत पेश की कि –" छिछरोनी के माल में मेरे कब्जे काश्त की करीब 12 बीघा जमीन है। जिस पर मेरे पिताजी के नाम पर कृषि कनेक्शन करवा रखा है। दिनांक 31.10.2022 को विक्रम मीणा जे.ई.एन. जे.वी.वी.एन.एल. केलवाडा मेरे खेत पर आया तथा मेरे बिल बकाया होने के कारण खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को उतार कर ले गया। मैंने दिनांक 01.11.2022 को बिल भी जमा करवा दिया। इसके बाद विक्रम मीणा जे.ई.एन. से मिला तो ट्रांसफार्मर देने की एवज में 40000 रूपये रिश्वत की मांग की। मैंने मेरी गरीबी का हवाला देकर रूपये कम करने के लिये निवेदन किया तो विक्रम मीणा जे.ई.एन. ने 25000 रूपये रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर देने की बात कही है। मैं विक्रम मीणा जे.ई.एन. को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी विक्रम मीणा से कोई दुश्मनी नही है तथा उधारी का कोई लेन–देन भी बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।"

परिवादी द्वारा पेश शिकायत का दिनांक 02.11.2022 को गोपनीय सत्यापन करवाने पर परिवादी से आरोपी द्वारा 25000 रूपये रिश्वत मांग करने तथा दौराने सत्यापन ही आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई। जिस पर दिनांक 02.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपी विक्रम सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की निशादेही से उसके किराये के आवासीय मकान के शौचालय (गटर की सीट के अन्दर से) से बरामद की गई। आरोपी द्वारा परिवादी से दौराने सत्यापन ली गई रिश्वत राशि 10000 रूपये भी बरामद की गई है। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में लिये जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी विक्रम सिंह मीणा द्वारा परिवादी ओमप्रकाश किराड के खेत पर लगे हुये ट्रांसफार्मर को दिनांक 31.10.2022 को उतारकर लाने के बाद दिनांक 01.11.2022 को परिवादी ओमप्रकाश किराड द्वारा आरोपी से सम्पर्क कर ट्रांसफार्मर वापस देने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत लेना प्रमाणित पाया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार चौधरी एवं श्री राम सिंह कानि. 78 के साथ मारपीट की, श्री राजकुमार चौधरी का मोबाईल छीन कर तोड कर फैंक दिया एवं श्री राम सिंह कानि. 78 के सीने पर मुह के दांतों से काट लिया था। इस सम्बंध में श्री राम सिंह कानि. 78 द्वारा पुलिस थाना केलवाडा जिला बारां पर पृथक से मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थन पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन–देन वार्ता, फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई के आधार पर आरोपी विक्रम सिंह मीणा कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी विक्रम सिंह पुत्र श्री बलीराम जाति मीणा उम्र 34 साल निवासी गांव राजोली पोस्ट धवन तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा जिला बारां के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(तीराचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, केलवाडा, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 431/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3738-42 दिनांकः- 03.11.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव(प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

3/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।